



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA  
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE  
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE  
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड  
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS  
सीमा शुल्क आयुक्त कार्यालय  
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS  
सीमा शुल्क गृह, विलिंगडन आईलैंड, कोचिन  
CUSTOM HOUSE, WILLINGDON ISLAND, COCHIN-682009

77  
आज़ादी का  
अमृत महोत्सव

Website: [www.cochincustoms.gov.in](http://www.cochincustoms.gov.in)  
E-mail: [cochincustoms@nic.in](mailto:cochincustoms@nic.in)

Control Room: 0484-2666422  
Fax: 0484-2668468

**प्रशासन परिपत्र सं. Administration Circular No. 11 /2022**

**विषय:** विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों के मेधावी बच्चों को शैक्षणिक वर्ष 2021-22 के लिए आयोजित 10 वीं / 12 वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं में उनके प्रदर्शन के लिए नकद पुरस्कार प्रदान करने की योजना - के संबंध में।

**Sub:** Scheme for grant of Cash Awards to meritorious children of Departmental officers/ staff for their performance in the 10th/12th standard Board Examinations held for Academic Year 2021-22 - reg.

\*\*\*\*\*

कृपया उपर्युक्त विषय पर अपर महानिदेशक (I&W), DGHRD द्वारा जारी पत्र F. No. InW/WF-2/CA/1/2021-WLFR दिनांक 05.08.2022 देखें।

Please see letter dated 05.08.2022 F. No. InW/WF-2/CA/1/2021-WLFR issued by the Additional Director General (I&W), DGHRD on the above subject.

इस संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि, सभी पात्र अधिकारी/कर्मचारी, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए अंक तालिका, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतियों के साथ (जहाँ भी लागू हो), सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र (जहाँ भी लागू हो) निर्धारित प्रोफार्मा में पूर्ण रूप से विधिवत भरे हुए आवेदन को अधिकतम दिनांक 07.09.2022 तक प्रशासन अनुभाग में जमा कर सकते हैं।

In this regard, it is informed that, all eligible officers/staff may submit the duly filled in application in all respects in the prescribed proforma along with attested copies of the marksheet, SC/ST/OBC caste certificate issued by the competent authority (wherever applicable), disability certificate issued by the competent authority (wherever applicable) to the Administration Section latest by 07.09.2022.

समय सीमा का दृढ़ता से पालन करने की सलाह दी जाती है। नियत तिथि अर्थात् 07.09.2022 के बाद प्राप्त आवेदनों को सीधे तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा।

It is strongly advised to adhere to the time limit. The applications received after due date i.e., 07.09.2022 will summarily be rejected.

भवदीय Yours faithfully,

पी. विजय कुमार P. Vijay Kumar  
सीमा शुल्क सहायक आयुक्त (प्रशा)  
Asst. Commissioner of Customs (Admn)

प्रति To:

सभी अधिकारी तथा कर्मचारी/ सभी अनुभाग/ सूचना पट्ट All Officers and Staff/All Sections/Notice Board/  
ई डी आई अनुभाग को वेबसाइट में अपलोड करने हेतु EDI Section for uploading in the website.